न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर

मधुसूदनलाल जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 177/14/टीआई

1. सरस्वती देवी धर्मपत्नी स्व. चन्द्राराम आयु 76 साल
2. छितरमल आयु 50 साल } पुत्रगण चन्द्राराम
3. गोपाल लाल आयु 46 साल
4. गिरधारी आयु 40 साल
5. ओम प्रकाश आयु 35 साल

समस्त जाति खाती निवासीगण नीमावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

—आवेदकगण

बनाम

1. श्योदान उर्फ शिवदान आयु 58 साल } पुत्रगण लादूराम
2. श्योदयाल आयु 47 साल
3. पतासी देवी धर्मपत्नी स्व. श्योपाल आयु 65 साल
4. मुकेश आयु 36 साल } पुत्रगण श्योपाल
5. राकेश आयु 32 साल

समस्त जाति खाती निवासीगण नीमावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

6. उप पंजीयक, दांतारामगढ़ जिला सीकर
7. पटवारी हल्का गोरलावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ़ जिला सीकर

—अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—

1- श्री भवानीसिंह शेखावत वकील प्रार्थीगण की ओर से

2- श्री वंशीधर बाज्या वकील अप्रार्थी सं0 1 की ओर से

निर्णय दिनांक— 30.10.2015

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजियात खनं. 35 रकबा 0.09 है0, 36 रकबा 2.67 है0, 49 रकबा 1.25 है0, 50 रकबा 1.63 है0, 51 रकबा 0.12 है. 52 रकबा 0.03 है0 किता 6 कुल रकबा 5.79 है0 जिसके पुराने ख.नं. 7 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम नीमावास प.मं. गोरलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों में से 1/2 हिस्सा आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 ता 5 का पैत्रिक है तथा आराजियात ख.नं. 257 ख.नं. 257 रकबा 0.04 है0, 258 रकबा 1.68 है0, 259 रकबा 1.18 है0, 264 रकबा 0.47 है0 किता 4 कुल रकबा 3.37 है0 तन हनुमानपुरा जिसके पुराने ख. नं. 6 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा तन ग्राम दलतपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियां आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 ता 5 की पैतिक कृषि भूमियां है जिनको आवेदकगण व अनावेदकगण सं. 1 ता 5 अपने पूर्वजों के समय से ही अर्सा दराज से काबिज काश्तकार रहकर निरंतर व निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग में ले रहे है। आवेदकगण व अनावेदकगण सं. 1 ता 5 एक ही परिवार के व्यक्ति है तथा एक ही दादा की संताने है जिनका शजरा खानदान इस प्रकार है।

नाथाराम(फौत)

लादूराम(फौत) चन्द्राराम(फौत)

श्योदान अना.स.1 | श्योदयाल अना.स. 2 | श्योपाल(फौत) | सरस्वतीदेवी आवे.सं.1 | छितरमल आवे.सं.2 | गोपाल आवे.सं.3 | गिरधारी आवे.सं.4 | ओमप्रकाश आवे.सं.5

पतासीदेवी अना.सं.3 | मुकेश अना.सं.4 | राकेश अना.सं. 5

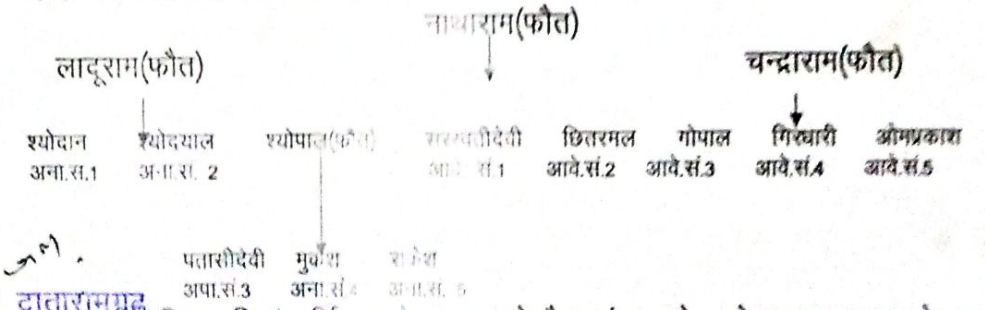

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

विवादित भूमियां वर्णित आवेदन पत्र के पैरा सं. 2 को आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 व 2 के दादा तथा अनावेदक सं. 4 व 5 के पददादा व अनावेदक सं. 3 के दादा

ससुर नाथूराम बजमाना खातेदारी से काश्त करते आ रहे थे। उनके जीवनकाल से ही विवादित भूमियों को आवेदकगण के पिता चन्द्राराम व अनावेदक सं. 1 व 2 के पिता तथा अनावेदक सं. 4 व 5 के दादा लादूराम शामिल में रहकर विवादित भूमियों को काबिज काश्तकार रहकर बहिस्सा बराबर बराबर 1/2, 1/2 उपयोग उपभोग करते रहे। उनकी मृत्यु पश्चात विवादित भूमीं पर आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 ता 5 बहिस्सा बराबर 1/2, 1/2 पर काबिज काश्तकार रहकर विवादित भूमियों को निरंतर व निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करते रहे। आवेदकगण के पिता चन्द्राराम व अनावेदक सं. 1 व 2 के पिता व अनावेदक सं. 4 व 5 के दादा लादूराम उर्फ लादिया विवादित भूमियों को शामिल में ही एक ही परिवार में रहकर काश्त करते रहे। प्रथम सैटिलमेंट के समय लादूराम उर्फ लादिया बड़ा भाई होने की वजह से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अकेले लादूराम उर्फ लादिया के नाम दर्ज हो गई तथा आवेदकगण के पिता चन्द्राराम छोटा भाई होने की वजह से उसका नाम खातेदारी में दर्ज नहीं हुआ। लादूराम व चन्द्राराम जब अलग अलग हुए तो अनावेदक सं. 1 व 2 के पिता तथा अनावेदक सं. 4 व 5 के दादा लादूराम उर्फ लादिया ने दिनांक 20.10.1977 को स्टाम्प किमती तीन–तीन रूपये पर विवादित भूमियों में लादूराम व अनावेदकगण के पिता चन्द्राराम का 1/2, 1/2 हिस्सा होने व बराबर बराबर काश्त करने बाबत तत्कालीन पटवारी हल्का की उपस्थिति में इन्द्राज दुरूस्ती बाबत लिखावट किता 2 तहरीर करवाकर पढ सुन व समझ कर अपनी अंगूठा निशानी कर दी तथा तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत, मोटलावास ने उक्त लिखावट को प्रमाणित कर दिया, किन्तु कानूनी अनभिज्ञता के कारण इन्द्राज दुरूस्ती नही हुई। तथा विवादित भूमियों की खातेदारी अकेले लादूराम के नाम से दर्ज चलती रही। लादूराम के फौत हो जाने पर विरासत के आधार पर खातेदारी अनावेदक सं. 1 ता 5 के नाम दर्ज हुई। ऐसी स्थिति मे आवेदकगण विवादित भूमियों मे से उनके पैत्रिक 1/2 हक व हिस्से की खातेदारी अधिकारों की उदघोषणा करवाने के आवेदकगण अधिकारी है तदहेतु यह आवेदन नियोजन किया जा रहा है। लादूराम व चन्द्राराम दोनों भाई विवादित भूमियो पर बहिस्सा 1/2, 1/2 काबिज थे। लादूराम की मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमियों की खातेदारी विरासत से अनावेदक सं. 1 ता 5 के नाम दर्ज हुई। उक्त गलत खातेदारी की आड मे अनावेदक सं. 1 ता 5 विवादित भूमियों में आवेदकगण के 1/2 पैत्रिक हक व हिस्से के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में दखलंदाजी कर रहे है तथा विवादित भूमियों को संपूर्ण को बलपूर्वक आवेदकगण को बेदखल कर अपने अधिकार व कब्जे में लेने व विवादित भूमियो को खुर्द बुर्द व अन्यत्र अंतरा कर आवेदकगण को उनके पैत्रिक हक व हिस्से से वंचित करने की कुचेष्टा में है जिसका अनावेदकगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अनावेदक सं. 1 ता 5 को आवेदकगण के पैत्रिक 1/2 हक व हिस्से की भूमियों पर बलपूर्वक कब्जा करने, उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने, विवादित भूमियों में से आवेदकगण को बेदखल करने, विवादित भूमियों को खुर्द बुर्द करने, अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन बेचान व हस्तांतरण करने व अनावेदकगण सं. 6 को विवादित भूमियों का किसी भी प्रकार का हस्तांतरण प्रलेख तस्दीक करने व अनावेदक सं. 7 व 8 को विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति आवश्यक व न्यायोचित है। अगर अनावेदक सं0 1 ता 5 विवादित कृषि भूमियों को गलत खातेदारी की आड मे हड़पने मे कामयाब हो गयो तो आवेदकगण को भारी असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी कानून में किसी भी प्रकार संभव नहीं है। प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला सुदृढ है तथा उक्त विवादित भूमियों मे से अपने पैत्रिक हक व हिस्से को एक लम्बे समय से काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। इस वजह से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर अनावेदकगण आवेदकगण को उनके पैत्रिक हक व हिस्से से बेदखल करने में कामयाब हो गये तो भारी असुविधा व अपूर्तनीय क्षति भी आवेदकगण को होगी इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना प्रार्थनीय है। अतः आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन है कि अनावेदक सं. 1 ता 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित भूमि ख.न. 267 ता 269, 264 किता 4 कुल रकबा 3.37 है0 तन ग्राम मोटलावास तहसील दांतारामगढ में आवेदकगण के 1/2 पैत्रिक हक व हिस्से व भूमि ख.न. 35, 36, 49 ता 52 किता 6 कुल रकबा 5.79 है0 तन ग्राम नीमावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में से 1/4 पैत्रिक हक व हिस्से के उपयोग उपभोग में

हस्तक्षेप करने, आवेदकगण को उनके पैत्रिक हक व हिस्से से बलपूर्वक बेदखल करने, विवादित भूमियों को खुर्द बुर्द करने तथा विवादित भूमियों को अन्यत्र अंतरण व प्रभारित करने से व अनावेदक सं. 8 को विवादित भूमियों का किसी भी प्रकार का हस्तांतरण प्रलेख तस्दीक करने व अनावेदक सं. 7 व 8 को विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधित किया जावें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 ता 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील श्री बंशीधर बाज्या हाजिर हुए। वकील अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आवेदन स्थगन का जवाब नहीं प्रस्तुत कर सीधे बहस करने का निवेदन किया गया।

3. बहस प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को बहस के दौरान दोहराया कि विवादित आराजियात प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 की पैत्रिक भूमियां है अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के पूर्वज लादूराम कर्ता खानदान होने से संपूर्ण भूमि की खातेदारी सैटिलमेंट के दौरान अकेले लादूराम के नाम से हो गई तथा उनकी मृत्यु होने पर उनके वारिसान अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के नाम हो गई जो आज दिनांक अनवरत चली आ रही है जबकि उक्त भूमियां पैत्रिक है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा गलत खातेदारी की आड़ में अन्यत्र बेचान किये जाने से अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण को होगी इसलिए अप्रार्थीगण को तादौराने दावा पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि से बेदखल करने से बाज रहे एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी सं. 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि गलत खातेदारी को दुरूस्ती किये जाने हेतु पूर्व लादूराम द्वारा वर्ष 1977 में लिखावट कर दी थी लेकिन राजस्व अभिलेख दुरूस्ती नहीं हुई है जो की जाना न्यायोचित है।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की एतराजीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विवादित आराजियात ख.नं. 257 ता 259, 264 किता 4 कुल रकबा 3.37 है0 तन ग्राम हनुमानपुरा तहसील दांतारामगढ में आवेदकगण के 1/2 पैत्रिक हक व हिस्से व भूमि ख.नं. 35, 36, 49 ता 52 किता 6 कुल रकबा 5.79 है0 तन ग्राम नीमावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में से 1/4 की खातेदारी अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के नाम से है लेकिन इनके पूर्वज लादूराम द्वारा वर्ष 1977 में लिखावट की गई है जिस के आधार पर उस समय दुरूस्ती नहीं हुई है। विवादित भूमियों के हक अधिकार का निस्तारण दावा में साक्ष्य/सबूत के आधार पर तेय किया जाना है। वर्तमान परिपेक्ष्य में अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के द्वारा किसी तरह का कोई एतराज नहीं किये जाने से प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है तथा अप्रार्थीगण खातेदार की आड़ में बेचान, हस्तांतरण किये जाने अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी इसलिए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से तादौराने दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात ख.नं. 257 ता 259, 264 किता 4 कुल रकबा 3.37 है0 तन ग्राम हनुमानपुरा तहसील दांतारामगढ में आवेदकगण के 1/2 पैत्रिक हक व हिस्से व भूमि ख.नं. 35, 36, 49 ता 52 किता 6 कुल रकबा 5.79 है0 तन ग्राम नीमावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में से 1/4 की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। मिसल फैसल शुमार होकर दावा के संलग्न हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 30.10.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ